भारत सरकार

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
आर.बी.इ. सं0 5/2001
एम.सी.सं0 13 का एस.सी.सं0 7

सं0 ई(एनज़ी)॥/2000/आर.आर.सी. 2-29 दिनांक 11.1.2001

विषय : टंकण परीक्षा - शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के मामले में छूट ।

---

बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.92 क़े पत्र सं0 ई(एनज़ी)॥/92/सीडी/1 में अंतर्विष्ट अनुदेशों की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह नियत है कि भविष्य में लिपिक तथा वरिष्ठ लिपिक की कोटियों में खुले बाजार से सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता के आलावा अनिवार्य अर्हता के रूप में टंकण में अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की प्रवीणता होनी चाहिए ।

2 बोर्ड के दिनांक 28/30.7.71 क़े पत्र सं0 ई(एलनजी)॥।/71/आर.आर.-18 में अंतर्विष्ट अनुदेशों की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है, जिसमें आशुलिपिकों के पदों के चयन के लिए आशुलिपिक परीक्षा के लिए मानक तथा प्रतिलेखन समय निर्धारित किया गया है।

2.1. कनिष्ठ/वरिष्ठ लिपिकों के पदों पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कोटे के अन्तर्गत विचार किये जाने वाले उम्मीदवारों के सम्बन्ध में टंकण/ आशुलिपि परीक्षा में अर्हता के लिए छूट से सम्बन्धित मामला बोर्ड के विचाराधीन था।

3 बोर्ड ने विधिवत विचार करने के बाद यह निर्णय लिया है कि अब से ऐसे उम्मीदवार जो टंकण आशुलिपि परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं, मौखिक परीक्षा के लिए बुलाए जाएं तथा इसमें अर्हता प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें अनंतिम रूप से नियुक्त करने की अनुमति दी जाए, जो इस शर्त पर अध्यधीन होगा कि वे नियुक्ति की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर टंकण/आशुलिपि परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेंगे।

---